राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(43)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/विविध/2016–17 जयपुर, दिनांक 12 जनवरी, 2017

जिला कलेक्टर,
उदयपुर, डूंगरपुर,
बांसवाडा एवं प्रतापगढ।

विषय :– मिनी बैंकों के द्वारा आवास योजना के लाभार्थियों को भुगतान में हो रहे विलम्ब की समीक्षा बाबत्।

माह जनवरी, 2017 तक पूर्व के वर्षों में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराये जाने की समीक्षा में पाया गया है कि आपके जिलों में मिनी बैंकों द्वारा लाभार्थियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। उक्त सम्बन्ध में निर्देश है कि जिला स्तर से समीक्षा कर अभियान के रूप में जारी राशि हस्तान्तरण के लेखों का मिलान पंचायत समिति स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिसके द्वारा लाभार्थियों की पासबुकों की फोटो प्रति से सत्यापन किया जावें एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावें। आवश्यकतानुसार इस कार्य हेतु एक या दो मैन विथ मशीन पंचायत समिति स्तर पर अधिकतम एक माह हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से रखे जा सकते है।

12/1/17
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा एवं प्रतापगढ।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\RkJain (Po)\RK Jain 2016-17\Letter 2016-17.doc